कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, फतेहपुर

पत्रांक 1936 /27–4 फतेहपुर दिनांक 12-01-24 ,2024।

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक / नोडल प्रभाग
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
प्रयागराज।

विषयः– 765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी बारा पारेषण लाईन सर्किट–1 के निर्माण कार्य हेतु कानपुर नगर में प्रभावित 0.3456 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 18 वृक्षों के पातन, कानुपर देहात में प्रभावित 0.8064 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 37 वृक्षों के पातन, प्रयागराज में प्रभावित 0.4288 हे0 संरक्षित व 14.4106 हे0 आरक्षित वन भूमि अर्थात् 14.8394 हे0 वन भूमि एवं बाधक 2460 वृक्षों के पातन, मैनपुरी वन प्रभाग में प्रभावित 1.4145 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 9 वृक्षों के पातन, औरेया वन प्रभाग में प्रभावित 0.3456 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 220 वृक्षों के पातन तथा फतेहपुर वन प्रभाग में प्रभावित 2.1504 हे0 संरक्षित वन भूमि एंव बाधक 67 वृक्षों के पातन कुल 5.4913 हे0 संरक्षित एवं 14.4106 हे0 आरक्षित अर्थात् कुल 19.9019 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2811 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 60 / 11–सी दिनांक 07.07.2022।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयांकित प्रस्ताव में फतेहपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत पायी गयी कमियों का निराकरण कर अनुपालन निम्नानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

क्र0सं0	लगायी गयी आपत्ति	अनुपालन आख्या
01	पारेषण लाइन में आने वाले वृक्षों ,जिनका पातन नही किया जाना है, वैज्ञानिक नाम एवं व्यासवार सहित सूची संलग्न नही है।	बिन्दु संख्या 1 के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्ताव में बाधक समस्त 67 वृक्षों का पातन किया जाना आवश्यक है ऐसे कोई भी वृक्ष बाधक नही है जिनका केवल शाखा तराशी किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न है।
02	प्रस्ताव में संलग्न मानक शर्तों के मान्य होने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नही है।	बिन्दु संख्या 2 के अनुपालन में प्रस्ताव में संलग्न मानक शर्तों के मान्य होने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर कर दिया गया है।
03	प्रस्ताव में भूमि स्वामित्व विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नही है।	बिन्दु संख्या 3 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि विद्युत पारेषण लाइन के ओवरहेड क्रासिंग के लिये केवल वन विभाग, राजमार्ग एवं रेलवे से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रावधन है। अन्य विभागों को मात्र सूचित किये जाने की आवश्यकता होती है। प्रयोक्ता अभिकरण का प्रमाण पत्र संलग्न है।
04	प्रस्ताव में संलग्न मलवा उर्त्सजन सम्बन्धी प्रमाण पत्र भारत सरकार के निर्धारित प्रारुप में नही है।	संशोधित मलवा उर्त्सजन सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग, वी.आई.पी. रोड, सिविल लाईन्स, फतेहपुर उत्तर प्रदेश 212601
05180-224493 dfofatehpur@gmail.com

05	प्रस्ताव में ऑनलाइन पार्ट–1 गलत संलग्न है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक करें।	संशोधित आनलाईन पार्ट–1 संलग्न है।
06	तीन वैकल्पिक रुट्स का Geo Referenced Digital Map पर प्रभागीय वनाधिकारी/प्रयोक्ता एजेंसी के हस्ताक्षर नही है।	तीन वैकल्पिक रुट्स का जियो रिफरेन्स डिजटल मैप पर प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रयोक्ता अभिकरण के हस्ताक्षर अंकित कर प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

भवदीय

(रामानुज त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

संख्या 1936 /समदिनांक–

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(रामानुज त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

D/C